22.04.17

राज्य द्वारा एडीपीओ। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी मिथुन को गिरफतारी वारण्ट जारी किए जाने के उपरांत अनिवार्हित है। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी दिनांक 18. 03.16 से अनुपस्थित है और उसके विरुद्ध जारी गिरफतारी वारण्ट उस पर तामील नहीं हो रहे हैं। आज जारी गिरफतारी वारण्ट में उसका अन्यत्र रहने का पंचनामा भी संलगन है। अतः यह प्रतीत होता है कि आरोपी स्वयं को वारण्ट निष्पादन से बचने के लिए छिपाये हुए हैं अथवा फरार हो गया है। प्रकरण अभी अभियुक्त परीक्षण की स्टेज पर है। अतः अनुपस्थित आरोपी के विरुद्ध धारा 299 द.प्र.स. की कार्यवाही की जाती है। आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफतारी वाारण्ट जारी हो।

प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / – (गोपेश गर्ग) जे.एम.एफ.सी.,गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

ATTERIOR AND PROPERTY AND PROP